बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बी.पी.एल. के एक सदस्य को प्रत्येक माह 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल और अत्योदय परिवार के एक कार्ड पर 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल प्रत्येक माह देने का प्रावधान है। साथ ही प्रखंड से व्यापार स्थल तक अनाज को मापतौल कर भेजने का प्रावधान है।

भोजपुर जिला में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर 2016 तक पैसा जमा कर पे स्लीप जमा कर दिया गया। जिला प्रशासन के लापरवाही के चलते तीन माह से अनाज का वितरण नहीं हो रहा है। जिसके कारण गरीबों में काफी आक्रोश है। भोजपुर के प्रशासन के द्वारा प्रखंड से अनाज व्यापार स्थल तक जन वितरण प्रणाली के दुकान तक नहीं भेजा जा रहा है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अपने पैसे से व्यापार स्थल तक अनाज ले जाते हैं। अनाज का वजन भी गोदाम से नहीं होता है।

अत: मैं सरकार से इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

ह./- राधाचरण साह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 66/2017 - 335 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 23.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग, बिहार/ सहकारिता विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 15.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 23.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिला के फुलवारीशरीफ अंचलान्तर्गत थानां नं.-27, मौजा-सिपारा स्थित सिपारा रेलवे गुमटी पर गया की ओर से छोटे-बड़े वाहनों के आने से हमेशा जाम लगा रहता है। इस रेलवे गुमटी से रेलवे लाईन से सटे पूरब तरफ एन.एच.-83 से एन.एच.-30 तक सड़क निर्माण होने से गया से आने वाली वाहनों के आवागमन का मार्ग काफी सुलभ हो जाएगा।

अत: सिपारा रेलवे गुमटी से रेलवे लाईन से सटे पूरब एन.एच.-83 से एन.एच.-30 तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- चन्देश्वर प्रसाद
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 67/2017 - 336 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 23.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 15.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

औरंगाबाद जिला के जी.टी. रोड और महाराजगंज रोड में बड़े-बड़े शो रूम-मॉल आदि खुले हुए हैं। लेकिन पार्किंग की जगह नहीं होने के कारण सड़क पर वाहन पार्किंग किया जाता है। जिसके चलते मुख्य सड़क पर यातायात बाधित रहता है एवं मुख्य बाजार के बीच में सब्जी मार्केट बहुत जटिल समस्या है। कई बार प्रशासन के प्रयास के बावजूद भी सब्जी मार्केट दूसरे जगह स्थानांतरण करने का प्रयास विफल रहा, जिससे बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण एक विशेष समस्या हो गया।

अतः उक्त मुख्य सड़क पर यातायात जाम से मुक्ति दिलाने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजन कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 68/2017 - 337 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 23.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 15.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 23.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।